पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 119/2018

अनवान :

1. प्रताप पुत्र रामकरण जाति जाट आयु वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
2. बनवारीलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
3. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा
4. गुड्डी पुत्री रामकरण पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी कणाऊ हाल वार्ड नं0 11 नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. गायत्री पुत्री रामकरण पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ हाल वार्ड नं0 11 नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री पूनमचन्द वर्मा एवं वकील प्रतिवादी सं0 1 ता 5 श्री संजीव कुमार कौशिक की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 235/237 के खसरा सं0 353 की 0.101 है0 बारानी, खसरा सं0 365 की 4.932 है0 बारानी, खसरा सं0 469 की 5.615 है0 बारानी और खसरा सं0 502 की 16.440 है0 बारानी कुल 27.088 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 तीनों संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामकरण 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.6.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 119/2018

अनवान :

1. प्रताप पुत्र रामकरण जाति जाट आयु वर्ष निवासी कणाऊ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादी

बनाम

1. रामकरण पुत्र गंगाजल जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
2. बनवारीलाल पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा।
3. जगदीश पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी कणाऊ तह0 भादरा
4. गुड्डी पुत्री रामकरण पत्नी आत्माराम जाति जाट निवासी कणाऊ हाल वार्ड नं0 11 नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. गायत्री पुत्री रामकरण पत्नी निहालसिंह जाति जाट निवासी कणाऊ हाल वार्ड नं0 11 नगरासरी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा **: वादी**

वकील श्री संजीव कुमार कोशिक **:प्रतिवादी सं0 1 ता 5**

निर्णय **दिनांक :** 13.6.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 235/237 के खसरा सं0 353 की 0.101 है0 बारानी, खसरा सं0 365 की 4.932 है0 बारानी, खसरा सं0 469 की 5.615 है0 बारानी और खसरा सं0 502 की 16.440 है0 बारानी कुल 27.088 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि हिन्दू खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता रामकरण को वादी के दादा गंगाजल से प्राप्त हुई है। उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक हिस्सा है व वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 5 प्रत्येक का 1/6 हिस्सा है उक्त वाद भूमि पारिवारिक सेंटलमेंट के मुताबिक वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई है इसी अनुसार वे काश्त करते चले आ रहें है प्रतिवादीया सं0 4 व 5 वादी की बहिने है जो शादीशुदा है तथा अपने ससुराल में खुशी से आबाद है जिन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि अपनी शादी के समय अपने भाइयों वादी और प्रतिवादीगण सं0 2 व 3 के पक्ष में तर्क की हुई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 व 5 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)

साक्ष्य वादी में प्रताप के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम कणाऊ खाता सं0 235/237 के सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण ग्राम कणाऊ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम कणाऊ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि नामान्तरकरण ग्राम कणाऊ प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादी के दादा गंगाजल पुत्र सरदारा के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में रामकरण के वारिसान में पत्नी रामी, तीन पुत्र बनवारी, प्रताप, जगदीश व दो पुत्रीयां गुड्डी, गायत्री होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादी साबित है।

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम कणाऊ की जमाबंदी सम्वत् 2072– 2075 के खाता सं0 235/237 के खसरा सं0 353 की 0.101 है0 बारानी, खसरा सं0 365 की 4.932 है0 बारानी, खसरा सं0 469 की 5.615 है0 बारानी और खसरा सं0 502 की 16.440 है0 बारानी कुल 27.088 है0 बारानी कृषि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी सं0 1 के नाम खातेदारी दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 तीनों संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 रामकरण 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने पारिवारिक सैटलमेन्ट में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही वादी व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के नाम संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलक्टर R.A.S.
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़